

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD

NO.E (G) 2002 QR1-2(Surplus)

New Delhi, Date: 20-03-2012

28

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units,
(As per standard list).

Sub: Utilization of Railway Quarters lying surplus due to shift/closure of establishments- Delegation of powers to.

.....

The issue of utilization of Railway quarters lying surplus on the Railways has been under consideration of Board for quite some time.

2. In exercise of its powers to make reasonable relaxations in public interest for a class/group of employees, in all or any of the existing provisions regarding house allotment/retention, the full Board has decided that the General Managers of the Railways be delegated the powers to allot the surplus quarters to employees posted at other stations.
3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.
4. Please acknowledge receipt.


(P.P.Sharma)

Executive Director Estt.(Gen.)

NO:E(G) 2002 QR1-2(Surplus)

New Delhi, Dated:20.03.2012

28

Copy (with 46 spares) to Dy. Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.


FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RLYS.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (जी) 2002 क्यू आर 1-2 (सरप्लस)


नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2012
28

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)।

विषय: संगठनों के शिफ्ट होने/बंद होने के कारण सरप्लस पड़े हुए रेलवे क्वार्टरों का उपयोग करना- शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

रेलों पर सरप्लस पड़े हुए रेलवे क्वार्टरों का उपयोग करने का मुद्दा कुछ समय से बोर्ड के विचाराधीन रहा है।

2. क्वार्टरों का आबंटन करने/इन्हें अपने पास रखने के बारे में सभी अथवा किन्हीं मौजूदा उपबंधों में कर्मचारियों की श्रेणी/ग्रुप के लिए सार्वजनिक हित में समुचित रियायत देने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे बोर्ड ने विनिश्चय किया है कि रेलों के महाप्रबंधकों को अन्य स्टेशनों पर तैनात किए गए कर्मचारियों को सरप्लस क्वार्टर आबंटित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाए।
3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. कृपया पावती दें।


(पी.पी.शर्मा)

कार्यकारी निदेशक, स्थापना (सा.)

सं. ई (जी) 2002 क्यू आर 1-2 (सरप्लस)

नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2012
28

प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली
(40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(14. आर.ए.ए.ए.ए.)
कृते वित्त आयुक्त/रेलें